झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: संकल्प ::

5492
22/6/15

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, साहेबगंज का पत्रांक–82 / रा0, दिनांक 10.02.2006 एवं पत्रांक–01 / रा0, दिनांक 03.01.2015
2.. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–5196, दिनांक 26.09.2006 एवं पत्रांक–6739, दिनांक 10.10.2007

श्री बालेश्वर बड़ाईक, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–555 / 03, गृह जिला– गुमला), के विरूद्ध इनके अंचल अधिकारी, साहेबगंज–सह–मंडरो के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक–82 / रा0, दिनांक 10.02.2006 द्वारा आरोप प्रपत्र–'क' में प्राप्त है। श्री बड़ाईक के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:–

आरोप सं0–1 इस कार्यालय के उपावंटनादेश ज्ञापांक–314 / रा0, दिनांक 09.10.2004 एवं 373 / रा0, दिनांक 08.11.2004 द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 में अंचल साहेबगंज एवं अंचल मंडरो के लिए आपको अंचलवार निम्नलिखित उपावंटन उपलब्ध कराया गया।

(क) साहेबगंज– 1,70,600.00

(ख) मंडरो– 31,55,800.00

आरोप सं0–2 उक्त उपावंटन के आलोक में आपको साहेबगंज अंचल के लिए 2 एवं मंडरो अंचल के लिए 37 साहाय्य जलाशय योजना का निर्माण 100 दिनों के अन्दर पूरा करना था।

आरोप सं0–3 परन्तु आपके द्वारा दिनांक 30.07.2005 तक साहेबगंज में 170600 / – में से 152928 / – रूपये व्यय कर दो योजना को पूरा किया गया तथा मंडरो में 3155800 / – में से 1326423 / – रूपये व्यय कर एक भी योजना को पूरा नहीं किया गया। इस प्रकार मंडरो अंचल में 36 साहाय्य जलाशय लम्बित रह गई तथा दोनों अंचलों में 1847049 / – रूपये राशि आपके द्वारा व्यय नहीं किया गया।

आरोप सं0–4 योजनाओं को पूरा करने के लिए पत्रांक–355 / रा0, दिनांक 19.10.2004, 1135 / रा0, दिनांक 28.10.2004, 374 / रा0, दिनांक 11.11.2004, 383 / रा0, दिनांक 27.11. 2004 एवं वितन्तु सेवाद संख्या–402 / रा0, दिनांक 08.12.2004 द्वारा निदेश दिया गया तथा साहाय्य योजना के जिला स्तरीय समीक्षा बैठक दिनांक 14.05.2005, 18.05.2005, 27.05.2005, 10.06.2005, 25.06.2005, 01.07.2005 एवं 20.07.2005 में भी योजनाओं को समय पर पूरा करने का निदेश दिया गया था। परन्तु आपके द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया गया तथा अपनी इच्छा के अनुरूप साहाय्य जलाशय योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया।

आरोप सं0–5 दिनांक 30.07.2005 के बाद भी आपको दोनों अंचलों की योजनाओं को पूरा करने का निदेश पत्रांक–623 / रा0, दिनांक 29.10.2005, 37 / रा0, दिनांक 28.01.2006 तथा सहाय्य योजना के जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक दिनांक 12.12.2005, 06.01.2006 एवं

20.01.2006 में भी दिया गया। परन्तु दिनांक 31.01.2006 तक आपके द्वारा सरकारी कार्य में कोई अभिरूचि नहीं दिखाई गई तथा उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए साहाय्य जलाशय की योजनाओं को पूर्ण करने में शिथिलता बरती गई।

आरोप सं0–6 चौदह माह की लम्बी अवधि बीतने के बावजूद आपके द्वारा मंडरो अंचल अन्तर्गत चयनित 37 योजना में से एक भी योजना को पूरा नहीं किया गया तथा उपावंटित राशि का मात्र 50 प्रतिशत राशि ही व्यय किया गया, जो आपके द्वारा सरकारी कार्यों में रूचि नहीं रखने का परिचायक है।

आरोप सं0–7 इस कार्यालय के उपावंटनादेश ज्ञापांक–597/रा0, दिनांक 19.10.2005 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में साहाय्य जलाशय एवं सड़क निर्माण योजनाओं का निर्माण हेतु आपको साहेबगंज अंचल एवं मंडरो अंचल के लिए दस–दस लाख रूपये का उपावंटन उपलब्ध कराया गया।

आरोप सं0–8 उक्त उपावंटन के आलोक में आपको मंडरो अंचल के लिए 12 साहाय्य जलाशय योजना एवं साहेबगंज अंचल के लिए 6 सड़क निर्माण योजना का निर्माण 90 दिनों के अन्दर पूरा करना था।

आरोप सं0–9 योजनाओं को पूरा करने के लिए जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक दिनांक 12.12.2005, 06.01.2006 एवं 20.01.2006 को निदेश दिया गया। परन्तु दिनांक 31.01.2006 तक आपके द्वारा सरकारी कार्य में कोई अभिरूचि नहीं दिखाई गई तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए साहाय्य जलाशय योजनाओं को पूर्ण करने में शिथिलता बरती गई।

आरोप सं0–10 90 दिनों से अधिक अवधि बीतने के बावजूद आपके द्वारा दोनों अंचलों में एक भी योजना पूरा नहीं किया गया तथा उपावंटित राशि 20,00,000.00 रूपये में से मात्र 4,92,637.00 रूपये व्यय किया गया, जो आपके द्वारा सरकारी कार्यों में रूचि नहीं रखने का परिचायक है।

आरोप सं0–11 आपके इस आचरण के कारण साहेबगंज सुखड़ग्रस्त जिला होने के कारण भी इन योजनाओं के मजदूरों को समय पर मजदूरी उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे सरकार की कल्याणकारी निति के पूरा होने में बाधा उत्पन्न हुई।

विभागीय पत्रांक–5196, दिनांक 26.09.2006 द्वारा श्री बड़ाईक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री बड़ाईक के पत्रांक–28/मु0, दिनांक 30.10.2006 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक–6739, दिनांक 10.10.2007 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से श्री बड़ाईक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक–01/रा0, दिनांक 03.01.2015 द्वारा श्री बड़ाईक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री बड़ाईक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, साहेबगंज के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि साहेबगंज समाहरणालय के आदेश संख्या–597, दिनांक 19.10.2005 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में साहेबगंज एवं मंडरो

अंचल के लिए क्रमशः 6 सड़क निर्माण एवं 12 सहाय्य जलाशय योजनाओं के लिए 10–10 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये थे। इन याजनाओं की स्वीकृति ज्ञापांक–780/रा0, दिनांक 31.12.2005 द्वारा दी गयी एवं अभिलेख बाद में वापस किया गया। राशि के उपावंटन एवं प्रशासनिक स्वीकृति के मध्य 2 महीने का समय लग गया और आरोपी पदाधिकारी दिनांक 02.02.2006 को दूसरे अंचल के लिए विरमित हो गये। उपावंटित राशि 20 लाख में से 4,92,637/– रूपये व्यय किया गया। योजनाओं की स्वीकृति के उपरांत दिनांक 31.01.2006 तक यह व्यय हुआ। आरोपी पदाधिकारी दिनांक 02.02.2006 को नये पदस्थापन स्थान गोला अंचल में योगदान हेतु कार्यमुक्त हो गये। इन योजनाओं को 28 फरवरी तक पूर्ण किया जाना था। उक्त आवंटन के अधीन अपूर्ण योजनाओं के लिए आरोपी पदाधिकारी दोषी नहीं दिखते हैं। आरोप संख्या–1 से आरोप संख्या–6 के अधीन प्राप्त आवंटन के आलोक में योजनाओं को पूर्ण करने में शिथिलता बरतने का आरोप प्रमाणित प्रतीत होता है परन्तु इनके द्वारा योजनाओं को पूर्ण करने का प्रयास भी किया गया है। साहेबगंज अंचल की 2 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है तथा मंडरो अंचल हेतु आवंटित राशि का 50 प्रतिशत खर्च कर योजनाओं में प्रगति लायी गयी है। दिनांक 02.02.2006 को ये गोला अंचल के लिए विरमित हो गये।

समीक्षोपरान्त, श्री बड़ाईक को **चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिए सचेत किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बालेश्वर बड़ाईक, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–85/2014 का॰–5492/राँची, दिनांक 22 जून, 2015

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।